REGD, No. D. L.-33002/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225518 SG-DL-E-26022021-225518

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/ फाल्गुन 7, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 348
No. 76]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/ PHALGUNA 7, 1942	[N. C. T. D. No. 348

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

सं. फा. 1 (2854)/पंजी. शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5453.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 के एसओ 1736 (सं. 2/5/61-न्याय—II) तथा दिनांक 07 सितंबर, 1966 की अधिसूचना एसओ 2709 (41/2/66–दिल्ली) के साथ पठित दिल्ली स्टाम्प (लिखित अवमूल्यांकन रोकथाम) नियमावली, 2007 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा और इस सरकार की 22 सितंबर, 2014 की अधिसूचना सं. फा 1 (953)/पंजी. शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5943 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए दिल्ली में भूमि के मूल्यांकन तथा अचल संपित्तियों के लिये न्यूनतम दरों (सर्किल दरों) में छूट को अधिसूचित करते हैं, इस अधिसूचना के साथ संलग्न संलग्नक—I में यथाविनिर्दिष्ट, और चूंकि यह माना जाता है कि इन न्यूनतम दरों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए, उपराज्यपाल आगे निर्देश देते हैं कि ये पूर्व प्रकाशन के बिना लागू होंगे।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) और भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के प्रावधानों के तहत सभी पंजीकृत अधिकारियों द्वारा दिल्ली में भूमि, अचल संपत्तियों से संबंधित प्रलेखों के पंजीकरण के समय दिल्ली में लागू करने के लिए उपरोक्त दरों पर विचार किया जायेगा। ये संशोधित दरें 30/09/2021 तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव–सह–मंडलीय–आयुक्त (राजस्व)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिये भूमि और संपत्तियों के मूल्यांकन के लिये न्यूनतम दरें (सर्किल दरें), दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत दिल्ली एवं पंजीकरण शुल्क पर यथा लागू:—

तालिका−1

आवासीय प्रयोग हेतु न्यूनतम भूमि दरें				
इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन की वर्तमान न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रभावी सर्किल दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)		
ए	774000	619200		
बी	245520	196416		
सी	159840	127872		
ভী	127680	102144		
tay.	70080	56064		
एफ	56640	45312		
জী	46200	36960		
एच	23280	18624		

तालिका–2

आवासीय उपयोग के लिये निर्माण लागत की न्यूनतम दरें				
इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये निर्माण की वर्तमान न्यूनतम दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर में)			
У	21960	17568		
बी	17400	13920		
सी	13920	11136		
ভী	11160	8928		
- tur	9360	7488		
एफ	8220	6576		
জী	6960	5568		
एच	3480	2784		

নালিকা–3

व्यावसायिक उपयोग के लिये निर्माण लागत की न्यूनतम दरें				
इलाके की श्रेणी व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण की वर्तमान आवासीय उपयोग हेतु भूमि के मूल न्यूनतम दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर में) के लिये प्रभावी सर्किल दरें (रूपये वर्ग मीटर में)				
۲.	25200	20160		
बी	19920	15936		
सी	15960	12768		

ভী	12840	10272
, tur	10800	8640
एफ	9480	7584
जी	8040	6432
एच	3960	3168

तालिका–4

चार तलों तक निर्मित फलैटों की न्यूनतम दरें				
कुरसी क्षेत्र के आधार पर फ्लैट की श्रेणी (वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (आवासीय उपयोग के मामले में) के लिए वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	वर्त्तमान न्यूनतम	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों / सहकारी आवास समितियों / प्राईवेट बिल्डिरों के फ्लैटों (व्यावासायिक उपयोग के मामले में) वर्तमान न्यूनतम दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों / सहकारी आवास समितियों / प्राईवेट बिल्डिरों के फ्लैटों (व्यावासायिक उपयोग के मामले में) प्रस्तावित न्यूनतम दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
30 वर्ग मीटर तक	50400	40320	57840	46272
30 से ऊपर तथा 50 वर्ग मीटर तक	54480	43584	62520	50016
50 से ऊपर तथा 100 वर्ग मीटर तक	66240	52992	75960	60768
100 वर्ग मीटर से ऊपर	76200	60960	87360	69888

तालिका–5

चार तलों से अधिक वाले तक निर्मित फलैटों की न्यूनतम दरें				
संपत्ति की श्रेणी वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रभावी न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर में) में)				
आवासीय 87,840/- 70,272/-		70,272/-		
व्यावसायिक 1,00,800/- 80,640/-				

- दिनांक 22/9/2014 की अधिसूचना संख्या फा. 1 (953)/पंजी. शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/आर/ 2014/5943 के द्वारा यथा अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के गुणक कारक सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की परिकल्पित कटौती के बाद भी निरन्तर लागू होंगे।
- टीप : जहां फ्लैट के अलावा किसी स्वतंत्र सम्पत्ति का एक भाग कुरसी क्षेत्र जैसे एक फ्लोर बेचा जाता है तो सम्बन्धित न्यूनतम भूमि लागत बेचे गये अनुपातिक कुरसी क्षेत्र के लिए लगाई जायेगी तथा बेचे गये कुरसी क्षेत्र पर न्यूनतम निर्माण लागत प्रयोग की जायेगी ।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th February, 2021

No. F. 1(2854)/Regn.Br./Div.Comm./HQ/2020/5453.—In exercise of power conferred by rule 4 of the Delhi Stamp (Prevention of Under-Valuation of Instruments) Rules, 2007 read with the Ministry of Home Affairs, Government of India S.O. 1736 (No. 2/5/61-Judl-II) dated the 22nd July, 1961 and Notification S.O. 2709 (41/2/66-Delhi), dated the 7th September 1966 and in supersession of this Government's Notification No. F. 1(953)/Regn. Br./Div.Com/HQ/2014/5943 dated the 22nd September, 2014, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies the relaxation in the minimum rates (Circle rates) for valuation of lands and immovable properties in Delhi for the purposes of the said Act and Rules made there under, as specified in Annexure-I annexed to this notification and since it is considered that these minimum rates should be brought into force at once, the Lt. Governor further directs that they shall come into force without previous publication.

The above rates, inter alia, shall be taken into consideration for registration of instruments relating to lands and immovable properties in Delhi by all the Registering Authorities under the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908) as in force in Delhi at the time of registration of instruments.

These revised rates shall come into force with immediate effect till 30/09/2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy.-cum-Divisional Commissioner (Revenue)

Minimum Rates (Circle Rates) for valuation of land and properties for the purpose of payment of Stamp duty under Indian Stamp Act, as applicable to Delhi & registration fees under the Registration Act, 1908 in Delhi:-

MINIMUM LAND RATE FOR RESIDENTIAL USE					
Category of the locality	Present minimum rates for	Effective Circle Rates for			
	valuation of land for residential	valuation of land for residential			
	use (in Rs. Per Sq.Mtr.)	use (in Rs. Per Sq.Mtr.)			
А	774000	619200			
В	245520	196416			
С	159840	127872			
D	127680	102144			
E	70080	56064			
F	56640	45312			
G	46200	36960			
Н	23280	18624			

TABLE 1

TABLE 2

MINIMUM RATES FOR COST OF CONSTRUCTION FOR RESIDENTIAL USE					
Category of the locality Present minimum rate construction for residential Rs. Per Sq.Mtr.)		Effective Circle Rates for valuation of land for residential use (in Rs. Per Sq.Mtr.)			
А	21960	17568			
В	17400	13920			

С	13920	11136
D	11160	8928
Е	9360	7488
F	8220	6576
G	6960	5568
Н	3480	2784

TABLE 3

MINIMUM RATES FOR COST OF CONSTRUCTION FOR COMMERCIAL USE					
Category of the locality	Present minimum rates of construction for commercial use (in Rs. Per Sq.Mtr.)	Effective Circle Rates for valuation of land for residential use (in Rs. Per Sq.Mtr.)			
А	25200	20160			
В	19920	15936			
С	15960	12768			
D	12840	10272			
Е	10800	8640			
F	9480	7584			
G	8040	6432			
Н	3960	3168			

TABLE 4

	MINIMUM RATES OF BUILT-UP FLATS UP TO FOUR STOREY				
Category of flats depending on plinth area (sq.mtr.)	Present minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA colonies and Group Housing Society (in case of residential use)	Proposed minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA colonies and Group Housing Society (in case of residential use)	Present minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA colonies / Cooperative Housing Societies / flats by private builders (in case of commercial use)	Proposed minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA COLONIES / Cooperative Housing Societies / flats by private builders (in case of commercial use)	
Upto 30 sq. mtr.	50400	40320	57840	46272	
Above 30 and upto 50 sq. mtr.	54480	43584	62520	50016	
Above 50 and upto 100 sq. mtr.	66240	52992	75960	60768	
Above 100 sq. mtr.	76200	60960	87360	69888	

MINIMUM RATES OF BUILT-UP FLATS HAVING MORE THAN FOUR STOREYS		
Category of Property	Present minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.)	Effective minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.)
Residential	87,840/-	70,272/-
Commercial	1,00,800/-	80,640/-

TABLE 5

- The Multiplying factors applicable to the various categories as notified by the notification No. F. 1/953/ Regn.Br./Div.Comm./HQ/R/2014/5943 dated 22/09/2014 shall continue to apply even after 20% envisaged reduction in the Circle Rates.
- **Note:** Where part plinth area, say one floor, of an independent property other than a flat is sold, the relevant minimum land cost may be taken for the proportionate plinth area sold, and minimum cost of construction applied on plinth area sold.